कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 2945 /37, /2018–19, रामनगर, दिनांक, दिसम्बर 19 ,2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड (प्र0प0) लो0नि0विभाग
चन्दौली।

विषय : **नौगढ़ धनकुवॉरी कला से केसार मार्ग किमी0 0.00 से 22.800 किमी0 तक आरक्षित वन भूमि में मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ : **इस कार्यालय का पत्रांक–5936/37, दिनांक–24.05.2018 एवं पत्रांक–595/37, दिनांक–02.08.2018।**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु नियमानुसार विधिक प्रक्रिया से आपको अवगत कराया गया था। विषयक मार्ग के अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु आपके द्वारा प्रस्ताव MOEF की वेबसाइट पर आनलाईन किया गया है एवं दिनांक–01.12.2018 को प्रस्ताव की हार्ड कापी इस कार्यालय में प्राप्त करायी गई है। आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में परिक्षणोंपरान्त यह पाया गया है कि आनलाईन किये गये प्रस्ताव एवं हार्ड कापी में उल्लिखित प्रभावित आरक्षित वन भूमि 19.62 हे0 दर्शाया गया है जो कि त्रृुटिपूर्ण है। आपके प्रतिनिधी एवं वन विभाग के संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित आरक्षित वन भूमि 20.33 हे0 दर्शायी गई है, जिसके अनुसार ही प्रस्ताव आनलाईन किया जाना नियमानुकुल है। उक्त के अतिरिक्त आपके द्वारा प्रेषित हार्ड कापी में निम्न अभिलेखो को अभाव पाया गया विवरण निम्न है–

1	विषय सूची
2	फार्म–1
3	फार्म–2
4	फार्म–3
5	फार्म–4
6	संयुक्त निरिक्षण रिपोर्ट
7	उ0प्र0शासन एवं भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र
8	रोजगगार मिलने एवं उक्त परियोजना के लाभ तथा उ0प्र0शासन/भारत सरकार कि शर्तो को मानने सम्बन्धी प्रमाण पत्र
9	F.R.A. सार्टिफिकेट
10	गणना प्रपत्र
11	इको श्रेणी के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना
12	वन स्वरुप क्षेत्रों की कोई भूमि सम्मिलित न होने का प्रमाण पत्र
13	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व भूमि की माँग न्यूनतम हाने का प्रमाण पत्र
14	वन्य जीव बिहार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र
15	गैर वन भूमि पर किये जाने वाले मलबा निस्तारण का प्रमाण पत्र
16	इको सेन्सटिव जोन का नोटिफिकेशन होने के उपरान्त परियोजना का कोई भी भाग पड़ने पर नियमानुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र
17	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण पत्र
18	धार्मिक पौराणिक/एतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण पत्र
19	श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र
20	भू वैज्ञानिको की सस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र
21	प्रस्तावित परियोजना की K.M.L. फाइल

उक्त विषयक प्रस्ताव को आनलाईन किये जाने के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी को एक्नालेजमेन्ट प्राप्त होता है जिस पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर एवं सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के हस्ताक्षर होने के उपरान्त ही आनलाईन अपलोड किये जानें कि प्रक्रिया है, परन्तु आप द्वारा ऐसा नही किया गया एवं जिलाधिकारी, चन्दौली के रबर स्टैम्प लगवाते हुये आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

Scanned by CamScanner

आपके द्वारा नियमानुकुल प्रक्रिया न अपनाते हुये ऋुटिपूर्ण तरीके से प्रपत्रों को आनलाईन किया जा रहा है, जो उचित नही है। इस प्रकार से गलत प्रक्रिया अपनायें जाने के कारण अनावश्यक रुप से समय ज्यादा लगता है।

अतः उक्त प्रस्ताव को मूल में किसी प्रतिनिधी को भेजकर प्राप्त करना सुनिश्चित करें एवं संशोधित प्रस्ताव पूर्ण अभिलेखों के साथ आनलाईन करते हुये इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे विषयक प्रकरण में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(मनोज कुमार खरे),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

सख्या-२९५८ (अ) / , समदिनांक।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, महोदय चन्दौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0विभाग, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – क्षेत्रीय वन अधिकारी, मझगाई रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार खरे),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

Scanned by CamScanner